संख्या- 904 /18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4   लखनऊः दिनांक 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2025

विषयः- मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स (MICE) प्रोत्साहन योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) की वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उद्यमियों को रोजगार विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्ड यूपी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 0 3 सितम्बर,2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु 'मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स (MICE) प्रोत्साहन "योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश के समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी एम. आई.सी.ई. ऑपरेटर द्वारा कराये जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एम.आई.सी.ई. प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रति विदेशी प्रतिभागी रू0 7 हजार या रू0 6 लाख प्रति कार्यक्रम, जो भी कम हो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रताः-

1-पर्यटन मंत्रालय द्वारा परिभाषित एम.आई सी.ई इवेन्ट्स ही योजनान्तर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होगे।

2-योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश के समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी के ऐसे एम.आई.सी.ई. आपरेटर/इवेंट मैनेजमेंट इकाईया प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश निर्यात सकर्धन परिषद,

पर्यटन विभाग, उतार प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत हो।

3-कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण रूप से राज्य के अन्दर किया जाना चाहिए तथा लॉजिस्टिक्स, कैटेरिंग इत्यादि से सम्बंधित क्रय उत्तर प्रदेश के क्रेताओं से ही किया जाना होगा।

4- एम.आई.सी.ई. ऑपरेटर एक वित्तीय वर्ष में मात्र 02 आयोजन के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते है।

5- एम.आई.सी.ई कार्यक्रम में न्यूनतम प्रतिभागी 100 होने चाहिए जिसमें 25 प्रतिशत विदेशी प्रतिभागी (भारत का नागरिक न हो) से होने चाहिए।

2. आवेदन की प्रक्रियाः-

1-योजनान्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदक को कार्यक्रम प्रारम्भ होने से कम से कम 60 दिन पूर्व आवश्यक प्रपत्रों सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

2- एम.आई.सी.ई. ऑपरेटर्स द्वारा कार्यक्रम के समापन के 60 दिनों के भीतर कार्यक्रम की उपलब्धियों की एक व्यापक रिपोर्ट निर्धारित वांछित प्रपत्रों के साथ हार्ड कॉपी में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

3- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० द्वारा परीक्षणोपरांत पूर्ण पाये गए दावे स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे। अपूर्ण पाये गए दावे के सम्बन्ध में सम्बंधित आवेदक इकाई को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4- एम.आई.सी.ई ऑपरेटर द्वारा 30 दिवस की अवधि में उक्तानुसार सूचित किए गए अपूर्णता का निवारण/वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाना होगा। एम.आई.सी.ई ऑपरेटर के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जाएगा।

3. स्क्रीनिंग समितिः-

पात्र आवेदकों द्वारा आवेदित दावों के मूल्यांकन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत एक स्क्रीनिंग समिति का निम्नवत गठन किया जाएगा:-

1	अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
5	प्रतिनिधि, सर्विसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
6	उपायुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य

	सचिव

4. समिति के कार्य-

1- योजनान्तर्गत दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बंधी संस्तुति किये जाने हेतु समिति अधिकृत होगी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत किए गए दावों के अनुमोदन हेतु निर्यात आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार निर्यात आयुक्त में निहित होंगे।

3. एम.आई.सी.ई ऑपरेटर को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि एम.आई. सी ई ऑपरेटर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

4. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये है अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

5. एम.आई.सी.ई ऑपरेटर द्वारा दावों को फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन तथा शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर निर्यात आयुक्त में निहित होंगे।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 02-12-2025
12:10:03

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-904(1)/18-4-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 . अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

2 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर।

3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।

4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।

5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र०।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>अनुलग्नक -1</u>

मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कान्फ्रेंस और एक्जीबिशन्स(MICE) प्रोत्साहन योजना

(शासनादेश संख्या-904/18-4-2025, दिनांक 03 दिसम्बर 2025)

पूर्व स्वीकृति प्रपत्र (Prior Approval Form)

कार्यक्रम आयोजक का विवरण (Details of Event Organizer)		
क्र0सं0 S.N.	बिन्दु Particulars	विवरण Details
1	संगठन का नाम Name of the Organization	
2	पंजीकृत पता Registered Address	
3	सम्पर्क हेतु नामित व्यक्ति का नाम Name of the POC	
4	पदनाम Designation	
5	मोबाइल नम्बर Mobile Number	
6	ईमेल पता POC Email Address	
7	कंपनी पहचान संख्या (यदि लागू हो) Corporate Identification Number (If Applicable)	
8	जीएसटीआईएन (यदि लागू हो) GSTIN (If Applicable)	

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी/एमआईसीई ऑपरेटर का विवरण Details of Event Management Company/MICE operator		
क्र0सं0 S.N.	बिन्दु Particulars	विवरण Details

1	संगठन का नाम Name of the Organization	
2	कंपनी पहचान संख्या Corporate Identification Number	
3	आईईसी संख्या IEC Number	
4	जीएसटीआईएन GSTIN	
5	आईसीपीबी सदस्य संख्या ICPB Member Number	
6	उद्यम पंजीकरण संख्या UDYAM Registration Number	
7	कंपनी का पंजीकृत पता Company Registered Address	
8	कंपनी का पत्राचार पता Company Correspondence Address	
9	आवेदक का नाम Name of Applicant	
10	पद का नाम Designation	
11	ईमेल आईडी Email Id	
12	संपर्क संख्या Contact Number	

कार्यक्रम का विवरण Details of the Event		
क्र0सं0 S.N.	बिन्दु **Particulars**	विवरण **Details**
1	आयोजन का संक्षिप्त विवरण Brief Description of the Event	
2	आयोजन की श्रेणी (मीटिंग/इंसेंटिव/कॉन्फ्रेंस/एग्जीबिशन) Category of Event (Meeting/Incentive/Conference/Exhibition)	
3	आयोजन स्थल Location of the Event	

4	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या Estimated number of Total Participants	
5	विदेशी प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या Estimated number of Foreign Participants	
6	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 से प्राप्त की जाने वाली अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहन राशि (रुपये में) Estimated financial incentive (in Rs) to be claimed from the UP EPB	
7	विक्रेताओं (आवास/परिवहन/खानपान/) के नाम, पते और जीएसटीआईएन सहित सूचीबद्ध करें। I. List name of Vendors (Accommodation/Transport/Catering/) along with address and GSTIN	
8	आवेदक (एमआईसी ऑपरेटर) का नाम Name of the Applicant (MICE Operator)	
9	कार्यक्रम आयोजक की ओर से संपर्क व्यक्ति POC from the Event Organizer	

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी/एमआईसीई ऑपरेटर

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

उद्यम की सील

कार्यक्रम आयोजक

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

उद्यम की सील

<u>अनुलग्नक 2: दावा प्रपत्र</u>

कार्यक्रम का विवरण **Details of the Event**		
क्र0सं0 **S.N.**	बिन्दु **Particulars**	विवरण **Details**
1	MICE इवेंट का नाम Name of the MICE Event	
2	स्थल Venue	
3	MICE कार्यक्रम की प्रारंभ तिथि Start Date of the MICE Event	
4	MICE कार्यक्रम की समाप्ति तिथि End Date of the MICE Event	
5	आयोजक संस्था का नाम Name of the Organizing Body	
6	इवेंट मैनेजमेंट कंपनी/एमआईसीई ऑपरेटर का नाम Name of the MICE Operator/ Event Management Company	
7	MICE कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण Brief Description of the MICE Event	
8	MICE कार्यक्रम में कुल प्रतिभागियों की संख्या	

	Total number of Participants in MICE Event	
9	MICE इवेंट में कुल विदेशी प्रतिभागी Total Foreign Participants in MICE Event	
10	वांछित उपादान राशि Incentive being claimed	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

………………………………………………………………………

इकाई/फर्म का पता

………………………………………………………………………

(मुहर)

अनुलग्नक 3: आवेदक की घोषणा

(दावा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा)

मैं, ..., पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., प्रबंध निदेशक/साझेदार/मालिक .... (आईईसी कोड), जिसका कार्यालय .... में स्थित है, एतद्द्वारा पूर्णतः घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है, और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. मेरी इकाई ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है और न ही उठा रही है।

मैं यह वचन देता हूँ कि उपरोक्त घोषणा के आधार पर मेरे/मेरी इकाई के संबंध में कोई भी विसंगति पाए जाने की स्थिति में, मुझे प्राप्त वित्तीय सहायता और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य दंड को वापस करना होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

....

इकाई/फर्म का पता

....

(मुहर)

अनुलग्नक 4

(प्रतिभागियों की सूची)

(पूर्व स्वीकृति प्रपत्र के साथ जमा किया जाना है)

घरेलू प्रतिभागियों की सूची

नाम	संगठन	पद का नाम	संपर्क संख्या	राज्य	आयोजन में भूमिका

विदेशी प्रतिभागियों की सूची

नाम	संगठन	पद का नाम	देश	पासपोर्ट संख्या	आयोजन में भूमिका

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

……………………………………………………………………………

इकाई/फर्म का पता

....

मुहर

अनुलग्नक 4

(प्रतिभागियों की सूची)

(दावा प्रपत्र के साथ जमा किया जाना है)

घरेलू प्रतिभागियों की सूची

नाम	संगठन	पद का नाम	संपर्क संख्या	राज्य	आयोजन में भूमिका	कार्यक्रम में भाग लिया (हां /नहीं)

विदेशी प्रतिभागियों की सूची

नाम	संगठन	पद का नाम	देश	पासपोर्ट संख्या	वीज़ा की वैधता (प्रारंभ तिथि - समाप्ति तिथि)	वीजा का प्रकार	आयोजन में भूमिका	कार्यक्रम में भाग लिया (हाँ/नहीं)	ठहरने के लिए बुक किए गए होटल का नाम और पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

....

इकाई/फर्म का पता

....

(मुहर)

<u>अनुलग्नक 5</u>

<u>(आवास/खानपान/कार्यक्रम स्थल/परिवहन आदि के लिए नियुक्त विक्रेताओं की सूची)</u>

<u>(दावा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा)</u>

विक्रेता का नाम	विक्रेता का पंजीकृत पता	जीएसटीआईएन (यदि लागू हो)	भूमिका (आवास/ परिवहन/खानपान वगैरह)	संपर्क व्यक्ति का नाम	संपर्क व्यक्ति का संपर्क नंबर	मेल पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

....

इकाई/फर्म का पता

....

(मुहर)

<u>अनुलग्नक 6</u>

<u>(होटल से प्रमाण पत्र)</u>

<u>(दावा प्रपत्र के साथ जमा किया जाना है)</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अतिथि (GSTIN और पता के साथ)हमारे होटल ……………………………………..में निर्दिष्ट अवधि के लिए ठहरे थे।

ठहरने का विवरण

नाम	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट संख्या (यदि आप भारतीय नहीं हैं)	चेक-इन तिथि	चेक आउट तिथि

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

होटल का पता

मुहर